मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / मंडी बोर्ड / सी.एम.हेल्प लाईन / 31 भोपाल, दिनांक 01 / 09 / 2020

प्रति,

1. संयुक्त / उप संचालक
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)
2. सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति
   ....जिला ....(समस्त)

विषयः– सी.एम हेल्प लाइन 181 पार्टल अंतर्गत एल–3, एल–4 या शासन स्तर की शिकायतो को प्रकिया के अनुरूप कार्यक्षेत्र से बाहर किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालक, हेल्प लाईन का पत्र कमांक / 368 / सी.एम.हेल्प / 2020 दिनांक 29.08.2020 ।

––00––

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से संचालक सी.एम.हेल्प लाइन द्वारा सी.एम.हेल्प लाइन 181 पर की गई शिकायत के एल–1, एल–2 एल–3 एवं एल–4 तथा शासन स्तर की शिकायतो के निराकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिस अनुसार शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाना हैं।

अतएव संलग्न किये गये संदर्भित पत्र अनुसार प्राप्त शिकायतों का निराकरण अपने स्तर पर ही कराया जाना सुनिश्चित करे, जिससे की शिकायते आगामी स्तर पर न अग्रेषित न हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

01/09/20

अपर संचालक(सी.एम.हेल्प लाईन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कायालय सा.एम.हल्पलाइन भापाल

212-125 द्वितीय तल, सी21 मॉल, होशंगाबाद रोड,

भोपाल म.प्र.

क्रमांक 368/सी.एम.हेल्प / 2020 भोपाल, दिनांक 29 /08/2020

प्रति,

1. विभागीय नोडल अधिकारी/ राज्य लोक सेवा प्रबंधक

   विभाग - समस्त म.प्र.

2. जिला लोक सेवा प्रबंधक,

   जिला - समस्त

   मध्यप्रदेश

विषय :- सी एम हेल्पलाइन 181 पोर्टल अंतर्गत एल- 3, एल-4 या शासन स्तर की शिकायतों को प्रक्रिया के अनुरूप कार्यक्षेत्र से बाहर किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सी.एम. हेल्पलाइन 181 अंतर्गत कार्यक्षेत्र से बाहर शिकायतों का विशलेषण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि जिलों से ऐसी शिकायतों को कार्यक्षेत्र से बाहर कर भोपाल भेजा रहा है जोकि भोपाल जिले से संबंधित न होकर संबंधित विभाग के एल-4 स्तर या शासन स्तर से संबंधित होती है। जिला लोक सेवा प्रबंधको के द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर करने के लिए शिकायतों को अप्रूव करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि शिकायत भोपाल जिले से संबंधित है अथवा संबंधित विभाग के एल-3/एल-4 यानी शासन स्तर से निराकरण होना है।

शासन स्तर से निराकरण होने वाली शिकायतों को कार्यक्षेत्र से बाहर कर भोपाल जिले में अंतरित किया जा रहा है। जबकि ऐसी शिकायतें जिनका निराकरण संबंधित विभाग के एल-3 या एल-4 या शासन स्तर से होना है उन शिकायतों को कार्यक्षेत्र से बाहर न करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत कार्य प्रगति पर करने के प्रावधान को बताया जाये जिससे वह शिकायत शासन स्तर (भोपाल) एल-3 या एल-4 स्तर पर पहुँच सकें।

शासन स्तर (एल-3/एल-4) से निराकरण होने वाली शिकायतों को भोपाल जिले में कार्यक्षेत्र से बाहर करने के कारण शिकायत का मूल जिला परिवर्तित हो जाता है जोकि सर्वथा अनुचित है। ऐसी शिकायतों में जिलें को यथावत रखने के लिए लेवल अधिकारी द्वारा शिकायत को कार्य प्रगति पर करना है जिससे एल-1 एवं एल-2 पर समय-सीमा पूर्ण होने के पश्चात शिकायत शासन स्तर (एल-3 / एल-4 स्तर) पर स्वतः पहुँच जायेगी।

अतः समस्त एल-1, एल-2 अधिकारी शिकायत एल-3/एल-4 या शासन स्तर की होने पर शिकायतों को कार्यक्षेत्र से बाहर न करते हुए शिकायतों को कार्य प्रगति पर किया जावें जिससे शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जा सकें। उक्त संबंध में आपके विभाग/जिले स्तर के लेवल अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक

सी.एम. हेल्पलाईन

भोपाल म.प्र.

निरंतर.....

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Mail/4764 दि 29/8/2020
शाखा Add (CM Help Line)
प्रबंध संचालक

Add(SKS)/588
01-09-20

भोपाल, दिनांक 29/08/2020

पृष्ठा. क्रमांक. 369/सी.एम.हेल्प./ 2020

प्रतिलिपि-

1 कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ ।

2 कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ ।

संचालक
सी.एम. हेल्पलाईन
भोपाल म.प्र.